गारगाई बाँध: मुंबई की प्यास और तानसा के जंगल

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026 | समाचार-संदर्भ: 26 नवंबर 2026

PCSMANTRA.COM

प्रिलिम्स: तानसा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, MLD
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-III (पर्यावरण, संरक्षित क्षेत्र, बुनियादी ढाँचा)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

मुंबई के लिए पानी बढ़ाने हेतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पालघर जिले में गारगाई नदी पर 3,065 करोड़ रुपये की लागत से बाँध प्रस्तावित कर रही है। समाचार-विवरण के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने इस सप्ताह परियोजना को BMC की कुछ प्रतिबद्धताओं की शर्त पर मंज़ूरी दी। यह पहली बार है जब BMC ने वन्यजीव-प्रबंधन और आदिवासी गाँवों के पुनर्वास की योजना बनाई है। [1]

स्रोत-सीमा: NBWL की बैठक के कार्यवृत्त और अनुमोदित शर्तों का मूल पाठ जाँचा नहीं जा सका। नीचे का ब्योरा समाचार-रिपोर्ट पर आधारित है।

पानी की ज़रूरत

मुंबई सात झीलों से लगभग 4,100 **MLD** पानी लेती है, जबकि माँग क़रीब 4,600 MLD है। **MLD** यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन (million litres a day)। फ़िलहाल 10% जल-कटौती लागू है। BMC का अनुमान है कि 2041 तक माँग 6,424 MLD तक पहुँचेगी। गारगाई बाँध से 450 MLD अतिरिक्त आपूर्ति का अनुमान है। अंतर पाटने की दूसरी परियोजनाओं में मनोरी समुद्री-जल विलवणीकरण संयंत्र है, जो 200 MLD से शुरू होगा और 400 MLD तक बढ़ सकता है। [1]

BMC ऐसा अकेला नगर निकाय है जिसने कई बाँध ख़ुद बनाए और चलाए हैं: तुलसी, विहार, तानसा, मोडक सागर और मध्य वैतरणा (2014 में पूरा)। गारगाई उसका छठा बाँध होगा। [1]

जंगल पर असर

बाँध से तानसा वन्यजीव अभयारण्य की लगभग 650 हेक्टेयर वन-भूमि डूबेगी। यह अभयारण्य ठाणे और पालघर जिलों में फैला है और इसका क्षेत्रफल लगभग 335 वर्ग किलोमीटर है। परियोजना-स्थल के पास छह आदिवासी गाँव हैं, जिनमें 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार 619 आदिवासी रहते हैं। [1]

BMC की शमन-योजना

- **शाकाहारी जीवों को लाना:** अभयारण्य के उत्तरी हिस्से में, जहाँ घना जंगल है पर शाकाहारी जीव कम हैं, चीतल (spotted deer) और मृग लाए जाएँगे। उम्मीद है कि तेंदुए भी इधर आएँगे और खाद्य-शृंखला लौटेगी।
- **पुनर्वास:** छह गाँवों के लोगों को वाडा शहर में बसाया जाएगा, जो 21 किलोमीटर दूर है। हर परिवार के एक सदस्य को BMC में नौकरी का प्रस्ताव है।
- **वन-क्षतिपूर्ति:** 500 हेक्टेयर से अधिक ग़ैर-वन भूमि को वन में बदलना और परियोजना-क्षेत्र के तीन लाख से अधिक पेड़ों का प्रत्यारोपण।
- **सड़क और आवास:** वन से गुज़रने वाले राज्य राजमार्ग 34 का मार्ग बदलना और डूबने वाले खोडदे गाँव के हिस्से में अजगर, नाग और गोह जैसे सरीसृपों के लिए प्रजनन-आवास।
- **कोष और अमल:** WII (भारतीय वन्यजीव संस्थान) के विशेषज्ञों के साथ बनी योजना के लिए 250 करोड़ रुपये (परियोजना लागत का लगभग 8%) रखे गए हैं। अमल वन विभाग करेगा, क्योंकि नगर निकाय के पास वन्यजीव-विशेषज्ञता नहीं है। [1]

अभयारण्य में अनुमति की क़ानूनी प्रक्रिया

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **धारा 29** के तहत अभयारण्य में कोई गतिविधि अनुमति देने से पहले राज्य सरकार को राज्य वन्यजीव बोर्ड से परामर्श करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के 9 मई 2002 के निर्देश के बाद ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफ़ारिश भी चाहिए। व्यवहार में यह मंज़ूरी राष्ट्रीय

PCSMANTRA.COM

वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफ़ारिश के रूप में आती है। राष्ट्रीय उद्यानों के लिए यही परामर्श **धारा 35(6)** में है। [2]

NBWL की मंज़ूरी एक चरण है, पूरी मंज़ूरी-शृंखला नहीं। वन-भूमि के उपयोग और पेड़ों की कटाई जैसी अन्य अनुमतियाँ अलग प्रक्रिया से गुज़रती हैं। अप्रैल 2025 की एक पहले की रिपोर्ट में राज्य वन्यजीव बोर्ड की मंज़ूरी और कुछ और अनुमतियों के लंबित होने का उल्लेख है, जबकि वर्तमान रिपोर्ट राष्ट्रीय बोर्ड की मंज़ूरी बताती है। परियोजना की ताज़ा अनुमति-स्थिति की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से करनी होगी। [3]

यह भी पढ़ें
डेमवे लोअर: जलविद्युत, नदी-प्रवाह और पर्यावरणीय समीक्षा

क्या योजना काम करेगी

योजना की सबसे अनिश्चित कड़ी यह मान्यता है कि शाकाहारी जीव लाने से तेंदुए आएँगे। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में वन विभाग ने इस इलाके में चीतल छोड़े थे, पर अधिकतर का स्थानीय आदिवासियों ने शिकार कर दिया। इसी कारण योजना गाँवों को हटाकर वहाँ मानवीय हस्तक्षेप ख़त्म करना चाहती है। पुनर्वास के सामाजिक पक्ष पर भी सवाल रहेंगे। पर्यावरण और जल-सुरक्षा के बीच संतुलन का यह परीक्षा-उपयोगी उदाहरण है। [1]

PCSMANTRA.COM

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 29 के तहत अभयारण्य में किसी गतिविधि की अनुमति से पहले राज्य सरकार को राज्य वन्यजीव बोर्ड से परामर्श करना होता है।

कथन 2: सर्वोच्च न्यायालय के 9 मई 2002 के निर्देश के बाद अभयारण्यों में ऐसी गतिविधियों के प्रस्तावों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफ़ारिश भी आवश्यक है।

कथन 3: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35(6) वन्यजीव अभयारण्यों में गतिविधियों के लिए परामर्श से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (b)

कथन 1 सही है: धारा 29 अभयारण्य में गतिविधि से पहले राज्य वन्यजीव बोर्ड से परामर्श का प्रावधान करती है।

कथन 2 सही है: 9 मई 2002 के निर्देश के बाद राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की सिफ़ारिश भी चाहिए।

कथन 3 सही नहीं है: धारा 35(6) राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित है, अभयारण्यों से नहीं।

PCSMANTRA.COM

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: गारगाई बाँध के लिए BMC की प्रस्तावित योजना में तानसा अभयारण्य के उत्तरी हिस्से में हिरण और मृग जैसे शाकाहारी जीवों को लाने की बात है।

कथन 2: योजना में परियोजना-स्थल के पास के आदिवासी गाँवों का पुनर्वास वाडा शहर में करने का प्रस्ताव है।

कथन 3: योजना में तेंदुओं को बाहर से लाकर अभयारण्य के उत्तरी हिस्से में छोड़ने का प्रस्ताव है।

कथन 4: योजना में वन से गुज़रने वाले राज्य राजमार्ग 34 का मार्ग बदलने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c)

कथन 1, 2 और 4 सही हैं: ये BMC की प्रस्तावित योजना के उपाय हैं।

कथन 3 सही नहीं है: योजना शाकाहारी जीव लाने की है, इस उम्मीद में कि तेंदुए अपने आप उधर जाएँगे; तेंदुओं को छोड़ने की बात नहीं है।

प्रश्न 3. समाचारों में रहा तानसा वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है?

(a) रायगढ़ और रत्नागिरी
(b) पुणे और सतारा
(c) नाशिक और धुले
(d) ठाणे और पालघर

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d)

रिपोर्ट के अनुसार तानसा वन्यजीव अभयारण्य (लगभग 335 वर्ग किलोमीटर) ठाणे और पालघर जिलों में फैला है।

PCSMANTRA.COM

स्रोत

1. द इंडियन एक्सप्रेस: गारगाई बाँध की वन्यजीव योजना पर समाचार विवरण, 26 नवंबर 2026 (NBWL कार्यवृत्त जाँचा नहीं जा सका)
2. पर्यावरण मंत्रालय: संरक्षित क्षेत्रों में गतिविधि के लिए NBWL स्थायी समिति की सिफ़ारिश के दिशानिर्देश
3. द इंडियन एक्सप्रेस, पहले की रिपोर्ट: राज्य वन्यजीव बोर्ड की मंज़ूरी और लंबित अनुमतियाँ, अप्रैल 2025

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गारगाई बाँध परियोजना की लागत और उद्देश्य क्या है?

समाचार-विवरण के अनुसार लागत 3,065 करोड़ रुपये है और उद्देश्य मुंबई को 450 MLD अतिरिक्त पानी देना है।

बाँध से तानसा अभयारण्य का कितना हिस्सा डूबेगा?

लगभग 650 हेक्टेयर वन-भूमि, जो तानसा वन्यजीव अभयारण्य की है।

क्या NBWL की मंज़ूरी ही अंतिम मंज़ूरी है?

नहीं। यह एक चरण है। वन-भूमि और पेड़ों की कटाई जैसी अन्य अनुमतियाँ अलग हैं; ताज़ा स्थिति आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचनी होगी।

PCSMANTRA.COM